भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1819

दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

1819. **श्री अशोक कुमार यादव:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन शिकायतों का संज्ञान लिया है जिनमें इन योजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर सवाल उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निगरानी के दौरान जिन योजनाओं में गंभीर कमियां पाई गई हैं, उनके नाम क्या हैं और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए तृतीय पक्ष ऑडिट, डिजिटल ट्रैकिंग, सामाजिक ऑडिट या रीयल-टाइम डैशबोर्ड जैसे उपाय अपनाने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं जिनकी सूची व्यय प्रोफाइल 2025-26 के

'स्टेटमेंट 4ए' में दी गई है। इससे संबंधित लिंक https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat4a.pdf. पर दिया गया है।

(ख) से (ङ) विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने लगभग 70 मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से केंद्रीय क्षेत्रक (सीएस) तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निष्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) विकसित की है। इस रूपरेखा का उद्देश्य योजनाओं के निष्पादन की निगरानी के आधार पर उनके लक्ष्यों की तुलना में परिणाम सुदृढ़ करना है। इसके अलावा रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक परिव्यय वाली योजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 से संबंधित केंद्रीय बजट के साथ ही प्रतिवर्ष संसद पटल पर रखी गई है। शेष योजना के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगों (डीडीजी) के साथ रूपरेखा सदन के पटल पर रखी गई है।
- लगभग 400 केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए लगभग 3000 प्रमुख निष्पादन परिणाम संकेतक स्थापित किए गए।

इसके अतिरिक्त, डीएमईओ ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है जिसमें लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं और संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आवधिक प्रगति अद्यतन की जाती है। इससे सभी हितधारकों को योजनाओं के निष्पादन की निगरानी करने में सहायता मिलती है।

*****